(7) विकास तथा सूक्ष्म सिंचाई के उपयोग के जरिए विशेष रूप से जल तथा उर्वरक के निवेश-उपयोग की सक्षमता में सुधार करना।

(8) अल्प-अनुकूल (कम उर्वरक तथा मानसून से पहले एक सिंचाई) स्थितियों के लिए तथा सूखा एवं जललग्नता को सहन करने वाली किस्मों के उत्पादन तथा उनकी पहचान का काम भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ तथा गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर में शुरू किया गया है।

Implementation of Delhi School Education ACT, 1973

*439. SHRI RAJ NATH SINGH: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the Delhi School Education Act, 1973, enacted to end exploitation of teachers in Delhi schools, is being violated by making term appointments of teachers on contract with fixed emoluments, and denial of regular pay scales and allowances;

(b) if so, the steps proposed to the taken by Government to safeguard the interests of the teacher community in Delhi; and

(c) if Government have not yet initiated any action in the matter, the reasons therefor and by when the Delhi School Education Act, 1973 will be implemented in letter and spirit?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI SR. BOMMAI): (a) to (c) Delhi School Education Act, 1973 provides for the recruitment and sets of terms and conditions of service of teachers employed in recognised schools of Delhi. Whenever any complaints of violation of these conditions of service are received, action by the appropriate authority, after due enquiry, is taken against the management of such schools under the various provisions of the Act. This is a regular and continuing process.

Government of NCT of Delhi have intimated that contract appointments have been made in their Government schools for a limited period from among the retired teachers in the interest of students so that their studies do not suffer because of time gap between creation and filling up the posts by regular incumbents.

Recruitment of teachers in Government schools is not covered by the Delhi School Education Act.

महत्वपूर्ण तीर्थस्थलों को प्रदूषण-रहित बनाने हेतु योजना

*440. चौधरी चुन्नी लालः
श्री नरेन्द्र मोहनः

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

क्या सरकार ने महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों को जल, वायु और ध्वनी के प्रदूषण से मुक्त करने हेतु कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्य सरकारों का योगदान क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद): सरकार ने महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों को जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण से मुक्त करने हेतु कोई विशेष योजना नहीं बनाई है। तथापि, धार्मिक महत्व के कतिपय नगरों में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, गंगा कार्य योजना चरण-I तथा गंगा कार्य योजना-II के तहत् नदियों के जल की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए योजनाएं चलाई गई हैं। गंगा कार्य योजना चरण- II तथा राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत योजनाओं के कार्यों पर खर्च होने वाली पूंजीगत लागत केन्द्र और संबंधित राज्य सरकारें बराबर-बराबर वहन करती हैं जबकि गंगा कार्य योजना चरण-I पूर्ण रूप से केन्द्रीय वित्त-पोषित योजना है।

देश में जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए किये गये उपायों के संबंध में एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

महत्वपूर्ण तीर्थस्थलों को प्रदूषण मुक्त करने की योजना

देश में जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल है:—

— सरकार ने प्रदूषण के उपशमन के लिए एक व्यापक नीतिगत विवरण तैयार किया है जिसमें विकास आयोजना के पर्यावरणीय और आर्थिक पहलुओं को एक साथ जोड़ने पर विचार किया गया है। इसके साथ ही इसमें प्रदूषण उपशमन के उपचारात्मक पहलुओं पर तथा औद्योगिक प्रदूषण कम करने के लिए प्रौद्योगिकीय निवेश को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है।

— उद्योगों को स्थान दिलाने तथा उनके संचालन के लिए पर्यावरणीय दिशा निर्देश तैयार कर लिए गए हैं।

— प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने तथा भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों से उद्योगों को स्थानांतरित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते है।

— उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण/मानीटरन उपकरणों के लिए सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क में छूट दी जाती है।

— लघु औद्योगिक इकाइयों के छोटे समूहों में साझा बहिस्राव शोधन संयंत्र लगाने की एक योजना कार्यान्वित की जा रही है। लगभग 60 साझा बहिस्राव शोधन संयंत्र स्वीकृत किए जा चुके हैं जो कि निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।

— छोटे और मझौले उपयोगों में प्रदूषण निवारण के लिए सरकार ने निम्नलिखित परियोजनाएं शुरू की हैं:—

— छोटे उद्योगों के समूहों में अपशिष्ट न्यूनीकरण केन्द्रों की स्थापना संबंधी परियोजना।

— राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् में राष्ट्रीय स्वच्छ उत्पादन केन्द्र की स्थापना संबंधी परियोजना।

— गंगा कार्य योजना चरण-I पूरा होने की प्रक्रिया में है और सरकार ने गंगा कार्य योजना चरण-II के अंतर्गत यमुना और गोमती कार्य योजनाओं को अपनी स्वीकृति दे दी है। सरकार ने राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना को भी अपनी स्वीकृति दे दी है। इसमें गंगा कार्य योजना चरण-I और चरण-II में शामिल न हुए प्रदूषित नदी क्षेत्र भी शामिल होंगे। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986 के अंतर्गत उद्योगों की 39 श्रेणियों के लिए उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए है।

— वायु (निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 में परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक अधिसूचित किए गए हैं। इसमें विभिन्न क्षेत्रों जैसे आवासीय, औद्योगिक तथा संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में मुख्य वायु प्रदूषकों के लिए मानक निर्धारित किए गए है।

— केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सम्पूर्ण देश में 290 परिवेशी वायु गुणवत्ता मानीटरन केन्द्रों और 480 जल प्रदूषण मानीटरन केन्द्रों के एक नेटवर्क के माध्यम से परिवेशी वायु और जल गुणवत्ता का मानीटरन कर रहा है।

— पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों की सभी श्रेणियों के लिए 1.4.96 को कठोर उत्सर्जन मानक लागू किए गए है और 1.4.2000 से इन्हे और भी कठोर बनाया जा रहा है। इससे स्वच्छ वाहनों के आने में मदद मिलेगी और उन्नत प्रौद्योगिकी अपना कर वाहनों से निकलने वाले धुएं में कमी आएगी।

— केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्यों को सलाह दी है कि वे सड़क पर चलने वाले वाहनों से निकलने वाले धुएं के लिए मानक लागू करें तथा विभिन्न पहलुओं पर जैसे वाहनों का रखरखाव, वाहन प्रदूषण का स्वास्थ्य पर प्रभाव, तथा सड़क पर चलने वाले वाहनों के लिए उत्सर्जन मानकों के उल्लंघन के लिए सुधारात्मक उपायों के बारे में आम लोगों में जागरूकता पैदा करएं।

— जून 1994 से दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता और चेन्नई चार महानगरों में कम सीसा युक्त पेट्रोल का प्रयोग शुरू किया गया। इसके बाद उपरोक्त 4 नगरों में 1.4.1995

से संशोधित पेट्रोल का प्रयोग शुरू किया गया है।

सरकार चरणबद्ध रूप में सीसा रहित पेट्रोल तथा कैटेलैटिक कनवर्टर लगे वाहनों को शुरू करने तथा स्वच्छ डीजल युक्त वाहनों के लिए कम सल्फर युक्त डीजल शुरू करने की एक व्यापक कार्य योजना चला रही है। पेट्रोल और डीजल के लिए ईंधन गुणवत्ता मानक अधिसूचित किए गए है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा देश के 12 प्रमुख शहरों में वाहन प्रदूषण के संबंध में व्यापक सर्वेक्षण किए गए है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उद्योगों और आटोमोबाइल्स के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से पैदा होने वाले शोर पर नियंत्रण के लिए कार्य संहिताएं तैयार कर ली है। इनमें जन संबोधन प्रणाली, वायुयान आप्रेशन, रेलवे आप्रेशन, निर्माण कार्यकलाप और आतिशबाजी शामिल है। राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे इन कार्य संहिताओं को संबंधित स्थानीय अधिनियमों के अन्तर्गत अमल में लाएं।

आटोमोबाइल, घरेलू उपस्करों, तथा निर्माण उपकरणों के लिए शोर की सीमाएं अधिसूचित की गई हैं।

प्रदूषण के प्रभावों के बारे में जन-जागरूकता अभियान चलाए गए है।

WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS

Functioning of RCCFs

2988. SHRI S. AUSTIN: Will the Minister or ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Regional Chief Conservators of Forests (RCCFs) are not taking any steps to promote afforestation in various states;

(b) whether it is a fact that they arc active only in preventing release of small plots of land for non-forest use;

(c) whether definite target will be set for the RCCFs to encourage forestation of de-forested land; and

(d) how do Government measure the contribution of the RCCFs to the forest wealth of India?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (CAPT. JAI NARAIN PRASAD NISHAD): (a) and (b) No, Sir.

(c) Afforestation over degraded forest land is the responsibility of the State Government. RCCFs have been monitoring the compliance of the stipulation of approvals given under Forest (Conservation) Act, 1980 and Environmental (Protection) Act, 1986 by the Central Government. The Regional Chief Conservators of Forests are empowered to decide cases for diversion of forest land for non forestry uses upto the extent of 5 ha. except mining and regularisation of encroachment and to process cases between 5 ha. to 20 ha. in consultation with the State Advisory Committee.

(d) As a result of promulgation of Forest (Conservation) Act, 1980, rate of diversion of forest land for non forestry purpose has been brought down from around 1,43,000 ha. per year to about 26,000 ha. per year. Regional offices are continuously interacting with the Governments of State/UTs to ensure compliance of stipulated conditions. With the result of continuous monitoring by the regional offices, an area of 2.37 lakh ha. have been brought under compensatory afforestation.

Stoppage of the Mumbai-Nagercoii Express at Ararvtoooly

2989. SHRI N. THALAVAI SUNDARAM: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether any steps have been taken for stopping the Mumbai-Nagercoii Express (6340) at AraWionoly;